Impact of foreign participation in Telecom Sector as India's Security Interest

2284. DR. BIPLAB DASGUPTA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the issue of country's defence and security interests, has been examined by any committee or group of Defence, Security Intelligence and policy planning in the light of proposed foreign equity participation in the basic telecom services;

(b) if so, when and what urgent steps will be taken in this direction; arid

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) Adequate safeguards have been provided in the tender document and the licence agreement. The safeguards have been formulated in consultation with the Ministry of Home Affairs.

रेल डिब्बों का निर्यात

2285. **श्री अजीत जोगी**:

श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)विश्व भारत विश्व के अनेक देशों को रेल डिब्बों का निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान प्राप्त हुए निर्यात आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वदेशी बाजार और निर्यात के लिए रेल डिब्बों के उत्पादन की गुणवंत्ता में सुधार के लिये क्या – क्या कदम उठाये जा रहे है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्राप्त हुए निर्यात आदेशों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1992-93 - कोई नहीं

1993-94 – मै. जेस्सप. उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम ने वियतनाम रेलवे से निम्नलिखित निर्यात आदेश प्राप्त किए थे:

1 मीटर लाइन के 9 अदद सवारी डिब्बे तथा

2 मीटर लाइन की 40 अदद सवारी बोगियां ।

1994-95 : भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों ने निम्नलिखित निर्यात

1. नेपाल रेलवे से छोटी लाइन के 6 अदद सवारी डिब्बे, तथा

2. वियतनाम रेलवे से मीटर लाइन के 15 अदद सवारी डिब्बे (10 अदद वातानुकूल तथा 5 अदद साधारण)

(ग) गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत प्रकिया है तथा कर्मचारी कुशलता, निवेश सामग्री की गुणवत्ता में सुधार तथा सवारी डिब्बों की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया के लिए प्रयास किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों को पकड़ने पर खर्च हुई धनराशि

2268. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों को पकड़ने में कितनी धनराशि खर्च कि गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई हैं।

(ख) उपर्युक्त वर्षो के दौरान पकड़े गए हाथियों के रख-रखाव पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च कि गई है;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान जंगली हाथियों द्वारा जान-माल का कितना नुकसान किया गया और इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को समस्या के स्थाई समाधान हेतु राज्य में किसी स्थान पर हाथी अभयारण्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने दो वर्षो 1993-94 में 17.294 लाख ओर 1994-95 में 34.15 लाख रूपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को सी. सी.एस परियोजना के तहत हाथियों को पकड़ने और

उनके रख-रखाव के लिए प्रदान की है। इस मंत्रालय में राज्य राजकोष से राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चो का ब्यौरा नहीं रखा गया है।

(ग)मध्य प्रदेश के वन विभाग से सूचना एकत्र की जा रही हैं।

(घ) जी, नहीं। इस समय भारत सरकार के पास मध्य प्रदेश में हाथी प्रदेश में हाथी अभयारण्य बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य औषधालय के कर्मचारी की हत्या

2287. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून ,1955 के "नवभारत टाइम्स" में मुंशी राम की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां , तो क्या सरकार ने हत्यारों की पहचान करने और उन्हें तत्काल पकड़ने के लिये किसी जांच दल का गठन किया है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि मुंशी राम की हत्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का ही नतीजा है;

(घ) इस हत्याकांड में अभी तक पुलिस द्वारा की गयी जांच के संबंध में पूर्ण ब्योरा क्या हैं; क्या सरकार जांच कार्रवाइयों से संतुष्ट है या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरों से मामले की जांच कराना चाहती है; और

(ड) इसका तथ्यात्मक ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ड) थाना नन्दी नगरी में 18 मार्च, 1995 को भा.द.सं की धारा 302 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था तथा दिल्ली में उत्तर- पूर्वी जिले के अपराध प्रकोष्ठ द्वारा जांच पड़ताल शुरू कि गई ।

अब तक की गई जांच पड़ताल से पता चला है कि मृत्तक विवेक विहार, दिल्ली के.स.स्वा सेवा औषधालय में चपरासी के रूप में कार्यरत था तथा पिछले 15 वर्षो से दिल्ली में अकेला हो रहा था । मृत्तक ने अपनी पत्नी , बच्चों तथा अपने नगर वाले खानदानी घर को कई वर्ष पहले ही छोड़ दिया था। बताया गया है कि मृतक अफीम का नशा करता था और चरित्रहीन था।

यद्यापि मृत्तक ने के स.स्वा.सेवा औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कुछ शिकायतें की थीं, लेकिन जांच पड़ताल में अब तक हत्या और जिस अधिकारी के विरूद्ध शिकायत की गई है के बीच किसी प्रकार का संबंध सिद्ध होने के बारे में कोई पता नहीं चला हैं।

यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Capacity of ITl

2288. SHRI S. JAIPAL REDDY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the I.T.I. Ltd. set up in 1948 for producing equipments as required by the Department of Telecom (DOT) has now acquired capacity of annually producing about Rs. 3000 crores worth of telecom equipments;

(b) whether it is also a fact that the order book position of the I.T.I. Ltd. for the year 1995-96 is at a very low level of nearly 360 crores;

(c) if so, why the DOT has not placed adequate orders on the I.T.I. Ltd. for enabling it to achieve full capacity utilisation; and

(d) what specific steps Government propose to take for ensuring that the I.T.I. Ltd. will not turn "sick"?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Production capacity is defined in terms of quantity of finished products. Since pricing of equipments is subject to the process of tendering, capacity of ITI in financial terms cannot be accurately quantified.

(b) For the year 1995-96, apart from the firm orders of about Rs. 430 crores at present LOI/APO's to the extent of about Rs. 560 crores are also available with ITI Ltd.

(c) and (d) Securing adequate orders and their suitable execution in the